

एफ. सं. 275/92/2024-आईटी (बी)  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 1 जुलाई, 2025

**विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1क) (ii)/206ग (7) के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, विशिष्ट मामलों में, ब्याज के आरोपण पर छूट के लिए सीबीडीटी के दिनांक 28.03.2025 के परिपत्र संख्या 5/2025 के संबंध में स्पष्टीकरण - के संबंध में**

परिपत्र संख्या 5/2025 दिनांक 28.03.2025 के संबंध में, क्षेत्रीय अधिकारियों से यह स्पष्ट करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या इस परिपत्र के तहत छूट आदेश पारित करने के लिए अधिकृत निर्धारित प्राधिकारी को परिपत्र जारी होने की तारीख से प्रभावी माना जाता है या क्या छूट आवेदनों पर केवल उन मामलों में विचार किया जाना है जहां आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 201(1क)(ii)/206ग (7) के तहत ब्याज उक्त परिपत्र जारी होने की तारीख को या उसके पश्चात लगाया गया है।

2. मामले की जांच की गई और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) निर्धारित प्राधिकारी (अर्थात सीसीआईटी/डीजीआईटी/प्रधान सीसीआईटी) को उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि के पश्चात छूट हेतु आदेश पारित करने का अधिकार है।

(ii) जैसा कि उक्त परिपत्र के पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज लिया गया है, उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष के अंदर ब्याज छूट के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर लिया गया ब्याज वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है, तो ऐसे ब्याज की छूट के लिए आवेदन 31.03.2025 तक, यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत से एक वर्ष तक दायर किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र जारी होने से पहले भी अधिनियम की धारा 201(1क)(ii)/206ग (7) के तहत लगाए गए ब्याज के लिए छूट आवेदन पर विचार किया जा सकता है, जो उपरोक्त (ii) के अधीन है।

(रूबल सिंह)

उप सचिव, आईटी-बजट

सीबीडीटी

प्रतिलिपि बनाएं:-

1. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीबीडीटी।
2. सभी प्रधान सीसीएसआईटी, सीसीएसएलटी/डीजीएसआईटी।
3. सभी संयुक्त सचिव/सीएसआईटी, सीबीडीटी।
4. आयकर आयुक्त (मीडिया एवं टीपी) एवं आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली।
5. आवश्यक कार्रवाई हेतु एडीजी (पीआर, पीएंडपी)।
6. जेसीआईटी, डाटाबेस सेल को इस अनुरोध के साथ कि आदेश को वेबसाइट [www.irs-officersonline.gov.in](http://www.irs-officersonline.gov.in) पर अपलोड किया जाए।
7. वेब मैनेजर, कार्यालय महानिदेशक (प्रणाली) को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वेबसाइट [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) पर अपलोड किया जाए।
8. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
9. सभी वाणिज्य मंडल।
10. हिंदी सेल द्वारा अनुवादित।
11. द गार्ड फ़ाइल।

(रूबल सिंह)

उप सचिव, आईटी-बजट

सीबीडीटी